न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:–421 / 2022

दाउदनगर थाना कांड संख्या :–210 / 2022

26.04.2022 आवेदक धर्मेन्द्र सिंह की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। आवेदक की ओर से चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन की छायाप्रति दाखिल किया है।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में अलग–अलग निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । उक्त वाद की सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक उक्त वाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्वामी एवं चालक है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इनोवा वाहन निवंधन संख्या–BR03PB0781 के चालक के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है । आवेदक के द्वारा चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्त को मो0–10000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।